# उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ


पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com    E-mail : lekhpal.up@gmail.com

**राम मूरत यादव**
**प्रदेश अध्यक्ष**
: +91-9456225600
पत्रचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

**ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव**
**प्रदेश महामंत्री**
: +91-9515281875
पत्रचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

**● उपाध्यक्षगण**

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
–9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
–9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
–9451510484

**● कोषाध्यक्ष**

विनोद कुमार कश्यप
–8923920103

**● संगठन मंत्रीगण**

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन))
–9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
–9415678593

**● लेखापरीक्षक**

भूपेन्द्र सिंह
–9198895639


पत्रांक............/115    दिनांक 27-04-17

**सेवा में,**
**मा0 अध्यक्ष,**
**राजस्व परिषद, उ0 प्र0।**

**विषयः**— प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षक ( जनपद स्तरीय भूलेख कार्य हेतु, कार्यालय कार्य हेतु) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

सादर अवगत कराना है कि जब कोई कर्मचारी एक ही पटल पर अधिक समय तक कार्यरत रहता है तो उसमें अहं भाव और तानाशाही प्रवृत्ति का विकास होने लगता है जिससे वह अन्य लोगों का शोषण /उत्पीड़न करने लगता है। इसी के दृष्टिगत शासन द्वारा समय—समय पर स्थानान्तरण नीति निर्गत की जाती है और कर्मचारी नियमावली में भी स्थानान्तरण का प्रावधान किया जाता है।

महोदय वर्तमान में अधिकांश जनपदों में राजस्व निरीक्षक, जनपद स्तरीय भूलेख कार्य हेतु (पूर्व में भूलेख लिपिक), एक ही जनपद में लगभग 10 से 15 वर्षों से एक ही पटल पर तथा राजस्व निरीक्षक— तहसील कार्यालय के कार्य हेतु (पूर्व में रजिस्ट्रार कानूनगो), एक ही तहसील में 5 से 10 वर्षों से कार्यरत हैं। इस कारण अधिकांश राजस्व निरीक्षक (भूलेख लिपिक व रजिस्ट्रार कानूनगो) डी0पी0सी0 हेतु पात्र लेखपालों के सम्बन्ध में नियुक्ति एवं सेवा सम्बन्धी सूचनाएं परिषद को समय से नहीं भेजते हैं जिससे प्रोन्नति में विलम्ब होता है और इसके अतिरिक्त तहसील व जनपद स्तर पर भी वेतन, ए0सी0पी0, विभागीय कार्यवाही, स्थानान्तरण आदि के नाम पर लेखपालों के शोषण/ उत्पीड़न की शिकायतें आम हैं।

महोदय राजस्व कार्यपालक नियमावली 2014 के अनुसार राजस्व निरीक्षक का कैडर प्रदेश स्तर का है। पूर्व में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में राजस्व कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक पटल पर अधिकतम 3 वर्ष कार्य करने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका कियान्वयन उक्त पदों के सम्बन्ध में नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा पूर्व में अनेक बार इस सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई है।

अतः महोदय से निवेदन है कि राजस्व कार्यपालक नियमावली (राजस्व निरीक्षक) 2014 के प्रावधानों, शासन द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों के कम में राजस्व निरीक्षक (जनपद स्तरीय भूलेख कार्य हेतु) व राजस्व निरीक्षक (तहसील कार्यालय हेतु) के भी स्थानान्तरण भी किये जायें।

संस्था आपकी आभारी रहेगी।

**भवदीय**

**(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)**
**प्रदेश महामंत्री**

प्रतिलिपिः—
1. मा0 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0 प्र0।
3. समस्त जिलाध्यक्ष/ जिला सचिव, उ0 प्र0 लेखपाल संघ।

**(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)**
**प्रदेश महामंत्री**